भारत सरकार
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3226
16 मार्च, 2021 को उत्तर के लिए नियत

"सेमीकन्डक्टर की अनुपलब्धता"

3226. श्री के. नवासखनी:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सेमीकन्डक्टर की अनुपलब्धता के कारण कार उत्पादन इसकी मांग से कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सेमीकन्डक्टर उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : ऑटोमोबील उद्योग सेमीकन्डक्टरों की कमी का सामना करता रहा है।

(ग) : इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचित किया है कि सेमीकन्डक्टरों को उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। निम्नलिखित परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है:

i) हाई पावर फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए गैलियम नाइट्राईड पारितंत्र-समर्थित केन्द्र और इनक्यूबेटर की स्थापना।
ii) पीएलआई स्कीम के तहत एनएएनडी फ्लैश मेमोरी की असेम्बली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग (एटीएमपी) की स्थापना हेतु परियोजना।
iii) उत्पादकता-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत ट्रांजिस्टरों, डायोड आदि समेत डिस्क्रीट सेमीकन्डक्टर उपकरणों के लिए परियोजना।

जारी...

उपरोक्त के अलावा, भारत में सेमीकन्डक्टर एफएबी सुविधाओं की स्थापना हेतु कम्पनियों के लिए विभिन्न प्रोत्साहन उपलब्ध हैं जिनका विवरण अधोलिखित है:-

i) सेमीकंडक्टर एफएबी की स्थापना के लिए पूंजीगत वस्तुओं को मूलभूत उपभोक्ता शुल्क (बीसीडी) से मुक्त रखा गया है;

ii) आयकर अधिनियम की धारा 35-घ के तहत निवेश-संबद्ध कटौती;

iii) अनुसंधान एवं विकास संबंधी व्यय आयकर अधिनियम की धारा 35 (2एबी) के तहत व्यवकलनीय;

iv) इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और सेमीकन्डक्टर (एसपीईसीएस) विनिर्माण संवर्धन स्कीम के तहत पूंजीगत व्यय पर 25% का वित्तीय प्रोत्साहन।

******